प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / 13393-75 दिनांक : 28/03/18

विषय : एन0पी0सी0बी0 के अन्तर्गत डी0ई0ओ0 वर्ष 2017–18 मे अवशेष 4 माह के वेतन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2017–18 के लिए द्वितीय अनुपूरक कार्ययोजना में डी0ई0ओ0 एफ0एम0आर0 कोड सं0– I .3.4 में रू0 29.98 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

2. उपरोक्त विषयांक के सम्बन्ध में कार्यालय, महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्तर से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में Manpower Salary DEO Existing HR and Lumpsum Amount of outsourcing work के लिये कुल रु0 **29.98** लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते स्थानातंरित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार राज्य स्तर पर रक्षित की जा रही है,जिसे निकट भाविष्य में अवमुक्त किया जायेगा।

		National Programme for Control of Blindness (NPCB)
District wise Proposed III Release of Funds as per Supp. ROP approved by GOI for the FY 2017-18.		
		District-wise Proposed Allocation.
S.No	**District Name**	**I.3.4 Remuneration of DEO Existing HR and and Lumpsum Amount of outsourcing work**
1	Agra	33600
2	Aligarh	33600
3	Allahabad	33600
4	Ambedkar Nagar	33600
5	Amethi	33600
6	Amroha	33600
7	Auraiya	56381
8	Azamgarh	33600
9	Badaun	33600
10	Bagpath	33600
11	Bahraich	33600
12	Ballia	33600
13	Balrampur	33600
14	Banda	33600
15	Barabanki	33600
16	Bareilly	33600
17	Basti	33600

18	Bijnore	33600
19	Blandshahar	33600
20	Chandauli	33600
21	Chitrakut	33600
22	Deoria	33600
23	Etah	33600
24	Etawah	33600
25	Faizabad	33600
26	Farrukhabad	56381
27	Fatehpur	33600
28	Firozabad	33600
29	Gautambudh Nagar	56381
30	Gaziyabad	56381
31	Ghazipur	56381
32	Gonda	33600
33	Gorakhpur	33600
34	Hamirpur	33600
35	Hapur	55980
36	Hardoi	33600
37	Hathras(M.M.Nagar)	56381
38	Jalaun	33600
39	Jaunpur	56381
40	Jhansi	33600
41	Kannuaj	33600
42	Kanpur(Dehat)	33600
43	Kanpur(Urban)	33600
44	Kashganj	33600
45	Kaushambi	33600
46	Kheri	56381
47	Kushinagar	33600
48	Lalitpur	56381
49	Lucknow	56381
50	Maharajganj	56381
51	Mahoba	33600
52	Mainpuri	33600
53	Mathura	33600
54	Mau	56381
55	Meerut	33600
56	Mirzapur	56381
57	Moradabad	33600
58	Muzaffar Nagar	33600

59	Pilibhit	56381
60	Pratapgarh	33600
61	Raibareilly	33600
62	Rampur	33600
63	Saharanpur	33600
64	Sambhal	56381
65	Sant Kabir Nagr	33600
66	Sant Ravi das Nagar	33600
67	Shahjahanpur	33600
68	Shamli	33600
69	Shravasti	56381
70	Siddharthnagar	56381
71	Sitapur	56381
72	Sonbhadra	56381
73	Sultanpur	56381
74	Unnao	33600
75	Varanasi	33600
	Total UP	**2998000**

3. मिशन निदेशक महोदय के पत्र सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / रख–रखाव / 2017–18 / 206 / 11941 दिनांक 19.02.2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा में कार्यरत कर्मियों को मानदेय का ससमय भुगतान किये जाने के आदेशों के क्रम में राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत डी0ई0ओ0 संविदाकर्मियों का वेतन एन0एच0एम0 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से कर दिया जाये एवं उपरोक्त सम्बन्धित धनराशि राज्य स्तर से उपलब्ध होने के उपरान्त जिला लेखा प्रबन्धको द्वारा नियमतः सम्बन्धित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेण्ड अवशेष धनराशि को समायोजित करते हुये उपरोक्त जनपदवार तालिका में अंकित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी है एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकि या का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम / मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम / मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अन्तर्गत टी0ओ0आर0 के अनुसार ही सुनिश्चित की जाये।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. FMR Code –I.3.4 में सम्बन्धित 54 जनपदों में 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रति माह रू0 8400.00 की प्रति माह की दर से 04 माह हेतु प्रति जनपद रू0 33600.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है एवं सम्बन्धित 20 जनपदों कों आउटर्सोसिग के माध्यम से प्रति जनपद रू0 56381.00 की धनराशि तथा मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद हापुड़ के पत्र सं0–मु0चि0अ0 / एन0एच0एम0 / 2017–18 / 10148 दिनांक 15 / 02 / 2018 के अनुरोध पत्र के क्रम में माह अक्टूबर, 2017 से 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रति माह 8000.00 की धनराशि की दर से 75 जनपदों को कुल रू0 29.98 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्व पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत के नियंत्रक / महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05 / 05 / 2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

15. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि एस0पी0एम0यू0 स्तर से वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपदों को समस्त रक्षित की गयी धनराशि के सापेक्ष उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपदों द्वारा शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करेगे।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ.प्र.
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ
फोन नं.: 0522–2236894

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / रख–रखाव / 2017–18 / 206 / 11941-75 दिनांकः 19.02.2018

विषयः– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को मानदेय का ससमय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या– एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / लेखा / रख–रखाव / 2017–18 / 206 / 6906–75 दिनांक–07.10.2017 एवं संख्या–एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / लेखा / रख–रखाव / 2017–18 / 206 / 4230–4 दिनांक–31.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नियमित रूप से संविदा पर नियुक्त समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये नियमानुसार सम्बन्धित कार्यक्रम के बैंक खाते से ससमय प्रत्येक माह मानदेय का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अवगत कराना है कि 2 मार्च 2018 को होली का त्योहार है तथा 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2017–18 समाप्त हो रहा है। अतः माह फरवरी के मानदेय का भुगतान दिनांक 28 फरवरी 2018 तक किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार माह मार्च के मानदेय का भुगतान, 31 मार्च 2018 तक किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि मार्च माह का मानदेय को कमिट न कराना पड़े तथा व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में ही किया जा सके।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

अग्रतर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 10789 दिनांक 18.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संगत कार्यक्रम के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि से अनुमोदित महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु व्यय किये जाने के निर्देश जनपदों को पूर्व में दिये गये थे। उक्त पत्र में निर्देशित व्यवस्था दिनांक 28.02.2018 तक ही अनुमन्य थी किन्तु अब यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2018 तक अनुमन्य की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इस प्रकार व्यय की गयी धनराशियों का समायोजन जनपदों द्वारा संगत एफ0एम0आर0 मद के सापेक्ष किया जायेगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / रखरखाव / 2017–18 / 206 / 11941-75 (8) तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें / महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
6. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / अधिशाषी अभियन्ता, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. जिला कार्यक्रम जिला कार्यक्रम / लेखा प्रबन्धक इकाई, उ0प्र0।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / दिनांक : 28/03/18

विषय : एन0पी0सी0बी0 के अन्तर्गत डी0ई0ओ0 वर्ष 2017–18 मे अवशेष 4 माह के वेतन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2017–18 के लिए द्वितीय अनुपूरक कार्ययोजना में डी0ई0ओ0 एफ0एम0आर0 कोड सं0– I .3.4 में रू0 29.98 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

2. उपरोक्त विषयांक के सम्बन्ध में कार्यालय, महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्तर से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में Manpower Salary DEO Existing HR and Lumpsum Amount of outsourcing work के लिये कुल रु0 **29.98** लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते स्थानातंरित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार राज्य स्तर पर रक्षित की जा रही है,जिसे निकट भाविष्य में अवमुक्त किया जायेगा।

National Programme for Control of Blindness (NPCB)		
District wise Proposed III Release of Funds as per Supp. ROP approved by GOI for the FY 2017-18.		
District-wise Proposed Allocation.		
S.No	District Name	I.3.4 Remuneration of DEO Existing HR and and Lumpsum Amount of outsourcing work
1	Agra	33600
2	Aligarh	33600
3	Allahabad	33600
4	Ambedkar Nagar	33600
5	Amethi	33600
6	Amroha	33600
7	Auraiya	56381
8	Azamgarh	33600
9	Badaun	33600
10	Bagpath	33600
11	Bahraich	33600
12	Ballia	33600
13	Balrampur	33600
14	Banda	33600
15	Barabanki	33600
16	Bareilly	33600
17	Basti	33600

18	Bijnore	33600
19	Blandshahar	33600
20	Chandauli	33600
21	Chitrakut	33600
22	Deoria	33600
23	Etah	33600
24	Etawah	33600
25	Faizabad	33600
26	Farrukhabad	56381
27	Fatehpur	33600
28	Firozabad	33600
29	Gautambudh Nagar	56381
30	Gaziyabad	56381
31	Ghazipur	56381
32	Gonda	33600
33	Gorakhpur	33600
34	Hamirpur	33600
35	Hapur	55980
36	Hardoi	33600
37	Hathras(M.M.Nagar)	56381
38	Jalaun	33600
39	Jaunpur	56381
40	Jhansi	33600
41	Kannuaj	33600
42	Kanpur(Dehat)	33600
43	Kanpur(Urban)	33600
44	Kashganj	33600
45	Kaushambi	33600
46	Kheri	56381
47	Kushinagar	33600
48	Lalitpur	56381
49	Lucknow	56381
50	Maharajganj	56381
51	Mahoba	33600
52	Mainpuri	33600
53	Mathura	33600
54	Mau	56381
55	Meerut	33600
56	Mirzapur	56381
57	Moradabad	33600
58	Muzaffar Nagar	33600

59	Pilibhit	56381
60	Pratapgarh	33600
61	Raibareilly	33600
62	Rampur	33600
63	Saharanpur	33600
64	Sambhal	56381
65	Sant Kabir Nagr	33600
66	Sant Ravi das Nagar	33600
67	Shahjahanpur	33600
68	Shamli	33600
69	Shravasti	56381
70	Siddharthnagar	56381
71	Sitapur	56381
72	Sonbhadra	56381
73	Sultanpur	56381
74	Unnao	33600
75	Varanasi	33600
	Total UP	**2998000**

3. मिशन निदेशक महोदय के पत्र सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / रख–रखाव / 2017–18 / 206 / 11941 दिनांक 19.02.2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा में कार्यरत कर्मियों को मानदेय का ससमय भुगतान किये जाने के आदेशों के क्रम में राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत डी0ई0ओ0 संविदाकर्मियों का वेतन एन0एच0एम0 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से कर दिया जाये एवं उपरोक्त सम्बन्धित धनराशि राज्य स्तर से उपलब्ध होने के उपरान्त जिला लेखा प्रबन्धको द्वारा नियमतः सम्बन्धित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेण्ड अवशेष धनराशि को समायोजित करते हुये उपरोक्त जनपदवार तालिका में अंकित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी है एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकि या का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अन्तर्गत टी0ओ0आर0 के अनुसार ही सुनिश्चित की जाये।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. FMR Code –I.3.4 में सम्बन्धित 54 जनपदों में 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रति माह रू0 8400.00 की प्रति माह की दर से 04 माह हेतु प्रति जनपद रू0 33600.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है एवं सम्बन्धित 20 जनपदों को आउटसोंसिग के माध्यम से प्रति जनपद रू0 56381.00 की धनराशि तथा मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद हापुड़ के पत्र सं0–मु0चि0अ0/एन0एच0एम0/2017–18/10148 दिनांक 15/02/2018 के अनुरोध पत्र के क्रम में माह अक्टूबर, 2017 से 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रति माह 8000.00 की धनराशि की दर से 75 जनपदों को कुल रू0 29.98 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

15. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCB/01/2017–18/13393-75(10) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि एस0पी0एम0यू0 स्तर से वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपदों को समस्त रक्षित की गयी धनराशि के सापेक्ष उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपदों द्वारा शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करेगे।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल कें माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ.प्र.
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ
फोन नं.: 0522–2236894

सेवा में,
समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/रख–रखाव/2017–18/206/11941-75 दिनांक: 19.02.2018

विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय का ससमय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या– एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./लेखा/ रख–रखाव/2017–18/206/6906–75 दिनांक–07.10.2017 एवं संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./लेखा/रख–रखाव/2017–18 /206/4230–4 दिनांक–31.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नियमित रूप से संविदा पर नियुक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नियमानुसार सम्बन्धित कार्यकम के बैंक खाते से ससमय प्रत्येक माह मानदेय का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अवगत कराना है कि 2 मार्च 2018 को होली का त्योहार है तथा 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2017–1 समाप्त हो रहा है। अतः माह फरवरी के मानदेय का भुगतान दिनांक 28 फरवरी 2018 तक किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार माह मार्च के मानदेय का भुगतान, 31 मार्च 2018 तक किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि मार्च माह का मानदेय को कमिट न कराना पड़े तथा व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में ही किया जा सके।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

अग्रतर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 10789 दिनांक 18.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संगत कार्यकम के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि से अनुमोदित महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु व्यय किये जाने के निर्देश जनपदों को पूर्व में दिये गये थे। उक्त पत्र में निर्देशित व्यवस्था दिनांक 28.02.2018 तक ही अनुमन्य थी किन्तु अब यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2018 तक अनुमन्य की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इस प्रकार व्यय की गयी धनराशियों का समायोजन जनपदों द्वारा संगत एफ0एम0आर0 मद के सापेक्ष किया जायेगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/रखरखाव/2017–18/206/11941-75(8) तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशाषी अभियन्ता, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. जिला कार्यकम जिला कार्यकम/लेखा प्रबन्धक इकाई, उ0प्र0।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक